This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 21 दिसम्बर, 2019 / 30 मार्गशीर्ष, 1941

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–176 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	2 / 2018	शंगलावग–द्वितीय	उप–मुहाल तरांह	277 / 1, 300 / 1, 306 / 1, 769 / 1, 782 / 1, 893 / 1, 964 **कित्ता. . 7**	36–18–25	उत्तर : तरांह दक्षिण : उप–मुहाल ठणांह पूर्व : मुहाल तरांह, उप–मुहाल ठणांह पश्चिम : मुहाल तरांह, शंगलावग–प्रथम	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-176/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-176/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	2/2018	Shanglawag-II	Up-Mahal Taranh	277/1, 300/1, 306/1, 769/1, 782/1, 893/1, 964 **Kitta . . 7**	36-18-25	North : Tranh, South : Up-Muhal Thanah East : Muhal Tranh, Up-Muhal Thanah. West : Muhal Tranh, Shanglawag-I	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–177 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप–मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	3 / 2018	घोरला–तृतीय	मुहाल सामुई	67, 81 / 1, 136, 148, 149, 151 / 1, 160 / 1, 163 / 1, 173 / 1, 339 / 1, 342 / 1, 390 / 1, 391 / 1, 547 / 1, 575 / 1, 578 **कित्ता. . 16**	22–93–16	उत्तर : हीड़ा खास, भलावण दक्षिण : टिक्कर, मझौली पूर्व : भलावण पश्चिम : उप–मुहाल डीमी, मुहाल टिक्कर।	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-177/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-177/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	3/2018	Ghorla-III	Muhal Samui	67, 81/1, 136, 148, 149, 151/1, 160/1, 163/1, 173/1, 339/1, 342/1, 390/1, 391/1, 547/1, 575/1, 578 **Kitta . . 7**	22-93-16	North : Hira Khas, Bhalawan South : Tikkar, Majhouli East : Bhalawan West : Up-Muhal-Dimi, Muhal Tikkar	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–178 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप–मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	5 / 2018	कुपवी–द्वितीय	उप–मुहाल हीड़ा खास	696 / 1, 707, 921, 936, 937, 1071, 1078, 1079, 1081, 1154, 1198, 1199, 1224, 1568, 1654, 1655, 1656, 1657, 1790 **कित्ता. . 19**	8–50–04	उत्तर : डी0पी0एफ0 हीड़ा, उप–मुहाल हीड़ा खास दक्षिण : मुहाल सामुई पूर्व : मुहाल भलावण पश्चिम : उप–मुहाल हीड़ा खास।	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-178/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-178/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	5/2018	Kupvi-II	Up-Muhal Hira Khas	696/1, 707, 921, 936, 937, 1071, 1078, 1079, 1081, 1154, 1198, 1199, 1224, 1568, 1654, 1655, 1656, 1657, 1790. **Kitta. . 19**	08-50-04	North : DPF Hira, Up-Muhal Hira Khas South : Muhal Samui East : Muhal Bhalawan West : Up-Muhal-Hira Khas	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–179 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप–मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	6 / 2018	काण्डा–प्रथम	मुहाल काण्डा	75 / 1, 89 / 1, 99 / 1, 101 / 1, 107 / 1, 143 / 1, 205 / 1, 347 / 1, 348, 349, 378 / 1. **कित्ता. . 11**	7–56–44	उत्तर : डी0पी0एफ0 काण्डा दक्षिण : मुहाल काण्डा पूर्व : डी0पी0एफ0 काण्डा पश्चिम : मुहाल काण्डा, डी0पी0एफ0 मोहराली।	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-179/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-179/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	6/2018	Kanda-I	Muhal Kanda	75/1, 89/1, 99/1, 101/1, 107/1, 143/1, 205/1, 347/1, 348, 349, 378/1. **Kitta. .11**	07-56-44	North : DPF Kanda South : Muhal Kanda East : DPF Kanda West : Muhal Kanda, DPF Mohrali.	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–180 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप–मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	7 / 2018	काण्डा–द्वितीय	मुहाल काण्डा	538 / 1, 618 / 1, 638, 639, 640 / 1, 651 / 1, 664 / 1, 666 / 1 **कित्ता. . 8**	32–08–11	उत्तर : मुहाल काण्डा, डी0पी0एफ0 काण्डा दक्षिण : मुहाल चड़ोली, उप–मुहाल तरांह पूर्व : मुहाल काण्डा पश्चिम : मुहाल बनाह	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-180/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-180/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	7/2018	Kanda-II	Muhal Kanda	538/1, 618/1, 638, 639, 640/1, 651/1, 664/1, 666/1 **Kitta. . 8**	32-08-11	North : Muhal Kanda, DPF Kanda South : Muhal Charoli, Up-Muhal Tranh East : Muhal Kanda West : Muhal Banah.	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–181 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप–मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	8 / 2018	काण्डा–तृतीय	मुहाल काण्डा	728, 729 / 1. **कित्ता. . 2**	08–16–74	उत्तर : डी0पी0एफ0 काण्डा दक्षिण : मुहाल काण्डा, मुहाल चड़ोली पूर्व : उप–मुहाल हीड़ा खास, मुहाल चड़ोली। पश्चिम : मुहाल काण्डा	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-181/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-181/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District

1.	8/2018	Kanda-III	Muhal Kanda	728, 729/1 **Kitta. . 2**	08-16-74	North : DPF Kanda South : Muhal Kanda Muhal Charoli, East : Up-Muhal Hira Khas, Muhal Charoli West : Muhal Kanda.	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–182 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप–मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	9 / 2018	घोरला–द्वितीय	मुहाल टिक्कर	677 / 1, 687, 793 / 1, 822 / 1 **कित्ता. . 4**	27–48–40	उत्तर : मुहाल सामुई दक्षिण : मुहाल मझोली, उप–मुहाल लवाण धार पूर्व : मुहाल सामुई, मुहाल मझोली पश्चिम : मुहाल टिक्कर, डी0पी0एफ0 घोरला–प्रथम	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-182/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-182/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	9/2018	Ghorla-II	Muhal Tikkar	677/1, 687, 793/1, 822/1 **Kitta. . 4**	27-48-40	North : Muhal Samui South : Muhal Majholi, Up-Muhal Lawandhar East : Muhal Samui, Muhal Majholi West : Muhal Tikkar, DPF Ghorla-I.	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–183 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल/उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल/ उप–मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	10/2018	घेरल	उप–मुहाल तरांह	25/1, 37, 54/1, 474/1 504, 505/1, 554/1, 573/1 581, 582, 586/1, 591, 591/1, 652/1 **कित्ता . . 14.**	25–02–18	उत्तर : तरांह, बनाह, काण्डा दक्षिण : तरांह पूर्व : काण्डा, चड़ोली पश्चिम : तरांह, डी0पी0एफ0 घेरल	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-183/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-183/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	10/2018	Gheral	Up-Muhal Tranh	25/1, 37, 54/1, 474/1, 504, 505/1, 554/1, 573/1, 581, 582, 586/1, 591, 591/1, 652/1. **Kitta. . 14**	25-02-18	North : Tranh Banah, Kanda South : Tranh East : Kanda, Charoli West : Tranh, DPF Gheral	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–184 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप–मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	13 / 2018	बागी–पंचम	उप–मुहाल चड़ोली	791, 793 / 1, 795, 806 830, 831, 834 / 1, 834 / 3 873, 883, 888 / 1, 932 / 1 / 1, 938, 945 / 1, 959 / 1 **कित्ता. . 15**	13–52–84	उत्तर : डीपीएफ बागी–चतुर्थ दक्षिण : चड़ोली पूर्व : चड़ोली, हिड़ा खास, डीमी पश्चिम : डी0पी0एफ0 बागी–चतुर्थ, चड़ोली।	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-184/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-184/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	13/2018	Bagi-V	Up-Muhal Charoli	791, 793/1, 795, 806, 830, 831, 834/1, 834/3, 873, 883, 888/1, 932/1/1, 938, 945/1, 959/1 **Kitta. . 15**	13-52-84	North : DPF Bagi-IV South : Charoli East : Charoli, Hira Khas, Dimi West : DPF Gheral Bagi-IV, Charoli	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 नवम्बर, 2019

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी0–एफ0(14)–185 / 2019.––भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप–धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''संरक्षित वन'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	मुहाल / उप–मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं मुहाल / उप–मुहाल	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	15 / 2018	मलनो–द्वितीय	सैलपाव	503 / 1, 512 / 1, 518 / 1, 530 / 1, 563 / 1, 564, 681, 682 / 1. **कित्ता. . 8**	17–91–98	उत्तर : कुलग दक्षिण : डी0पी0एफ0 कुलग पूर्व : सैलपाव पश्चिम : डी0पी0एफ0 मलनो।	काण्डा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-185/2019, dated 16th November, 2019 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th November, 2019

No. FFE-B-F(14)-185/2019.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the Private Persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this Notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid,* the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as "protected forests" under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid.*

SCHEDULE

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal / Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries Muhal/ Up-Muhal	Forest Range	Forest Division	District
1.	15/2018	Malno-II	Sailpav	503/1, 512/1 518/1, 530/1, 563/1, 564, 681, 682/1 **Kitta. . 8**	17-91-98	North : Kulag South : DPF Kulag East : Sailpav West : DPF Malno	Kanda	Chopal	Shimla

By order,
RAM SUBHAG SINGH,
Additional Chief Secretary (Forests).

———————

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 16 दिसम्बर, 2019

संख्याः पी.सी.एच.–एच.बी.(2)13 / 2018.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश में, सहायक प्रोग्रामर, वर्ग–III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न **उपाबन्ध–"क"** के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमो का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, सहायक प्रोग्रामर, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र, (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
आर0 एन0 बत्ता,
सचिव (पंचायती राज)।

————————

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में सहायक प्रोग्रामर, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.––सहायक प्रोग्रामर

2. **पद (पदों) की संख्या.**——1 (एक)

3. **वर्गीकरण.**——वर्ग–III (अराजपत्रित)
(अलिपिक वर्गीय सेवाएं)

4. **वेतनमान.**––(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड : पे बैण्ड– ₹10,300–34,800 जमा ₹3200 / –ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां : स्तम्भ संख्याः 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹13,500 / –प्रतिमास।

5. **"चयन" पद अथवा "अचयन" पद.**——लागू नहीं

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**——18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पण.——सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. **सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनमत शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**.––(क) *अनिवार्य अर्हता(एं):* किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्थान अथवा किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विद्या की शाखाओं में नियमित पाठ्यक्रम [कोर्स (कोर्सिज)]:–

बी.ई. / बी. टैक (कम्प्यूटर विज्ञान / इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी) / एम.सी.ए. / नाइलिट (राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) से 'बी' या 'सी' स्तर का कोर्स।

या

(i) डोएक (नाइलिट) से 'ए' स्तर के एक वर्षीय पाठ्यक्रम सहित विद्या की अन्य शाखाओं में बी.ई./ बी. टैक/ कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ii) सरकारी/निगमित सेक्टर में सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेल्पर के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।

या

(iii) कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि।
(जिसमें स्नातक में गणित एक विषय के रूप में हो)।

(iv) सरकारी/निगमित सेक्टर में सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेल्पर के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

अथवा

(a) बी.एस.सी.(कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी)/ बी.सी.ए.।

(ii) सरकारी/निगमित/प्राईवेट सेक्टर में सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेल्पर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

या

(i) कम्प्यूटर विज्ञान/इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में बहुतकनीकी संस्थान से तीन वर्ष का डिप्लोमा।

(ii) सरकारी/निगमित/प्राईवेट सेक्टर में सहायक प्रोग्रामर/प्रोग्रामर/सॉफ्टवेयर डिवेल्पर के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(ख) *वांछनीय अर्हता(एं).*––हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.––*आयु :* लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति–भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमेन्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैंकेण्डमैंड/स्थानान्तरण किया जाएगा.––लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––(क) विभागीय प्रोन्नति समितिः लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समितिः जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्ति नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :–

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन राज्य चुनाव आयोग में सहायक प्रोग्रामर को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : सचिव, राज्य चुनाव आयोग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक प्रोग्रामर को ₹13500/– की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹405/– की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः

सचिव, राज्य चुनाव आयोग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा के गुणागुण और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबंधन और शर्तेंः

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹13500/– की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹405/– (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की दर से वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0

आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदो ंके विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तत्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में, यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

————————

परिशिष्ट–I

1.	लिखित परीक्षा [लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे]।			85 अंक
2.	अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना हैः–			15 अंक
	(i)	भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। [शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांको की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यष्टि ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता मे 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक (50X0.025=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे]।	2.5 अंक	
	(ii)	यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित	01 अंक	
	(iii)	भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बन्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	01 अंक	
	(iv)	इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण–पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध–सरकारी सेवा में नहीं है।	01 अंक	
	(v)	40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	01 अंक	
	(vi)	एन.एस.एस. (कम से कम 1 वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण– पत्र धारक/भारत स्काऊट और गाईड/राष्ट्रीय स्तर के खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता।	01 अंक	
	(vii)	सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000/–रुपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी0पी0एल0 कुटुम्ब।	02 अंक	
	(viii)	विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला	01 अंक	
	(ix)	इकलौती पुत्री/अनाथ	01 अंक	
	(x)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण।	01 अंक	
	(xi)	सरकारी/अर्द्ध–सरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम 05 वर्ष तक का अनुभव। (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	2.5 अंक	

परिशिष्ट–II

राज्य निर्वाचन आयोग में सहायक प्रोग्रामर, वर्ग–III (अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमती / कुमार / कुमारी ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ..... निवासी ..... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात, 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक प्रोग्रामर, वर्ग–III (अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः–

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक प्रोग्रामर वर्ग–III अराजपत्रित के रूप में..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्..... दिन को स्वंयमेव ही पर्यवसित(समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹13500 / – प्रतिमास होगी।

3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा ।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

   अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान(समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरूद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा–शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रस्वावस्था समाप्त नहीं हो जाती है । ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उस दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित दिन, मास और वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.PCH-HB (2)13/2018- 74241-74268 dated 16-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 16th December, 2019

No. PCH-HB(2)13/2018.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Programmer, Class-III (Non-Gazetted) in the State Election Commission, Himachal Pradesh, as per Annexure-" A" appended to this Notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, State Election Commission, Assistant Programmer, Class-III (Non- Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, (e-Gazzette) Himachal Pradesh.

By order,
R. N. BATTA,
Secretary Panchayati Raj.

———————

ANNEXURE- "A"

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POSTS OF ASSISTANT PROGRAMMER CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the Post.—**Assistant Programmer

2. **Number of Posts.—**1 (One)

3. **Classification.—**Class-III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial Service)

4. Scale of Pay.—(i) Pay band for regular incumbents.— ₹ 10,300-34,800 + ₹ 3,200 Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employees:
₹13,500/- P.M. as per details given in Col. No. 15-A

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Not applicable

6. Age for Direct recruitment.—Between 18 and 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) *Essential Qualification(s)* : On the following streams from recognized University/Institution or an Institution affiliated to a recognized Board or University or from a deemed University as regular course (s).

B.E./B.Tech. (Computer Science/ Engineering or Information Technology)/ MCA/ "B" or "C" Level course from NIELIT.

OR

(i) B.E./ B. Tech. in other disciplines with one year 'A' Level of DOEACC (NIELIT)/ Post Graduate Diploma in Computer Science/ Computer Applications/ Information Technology.

(ii) Experience of atleast one year in Government/Corporate Sector as Assistant Programmer/ Programmer/Software Developer.

OR

(i) Master's degree in Computer Science/Information Technology (having mathematics as a subject in graduation).

(ii) Experience of atleast two years in Government/Corporate Sector as Assistant Programmer/Programmer/Software developer.

OR

(i) B.Sc. (Computer Science or Information Technology)/ BCA.

(ii) Experience of at least three years in Government/Corporate/Private Sector as Assistant Programmer/Programmer/Software developer.

OR

(i) Three years Diploma from Polytechnic Institution in Computer Science/ Engineering or Information Technology.

(ii) Experience of atleast three years in Government/Corporate/ Private Sector as Assistant Programmer/Programmer/Software developer.

(b) *Desirable Qualification(s)* : Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).—*Age :* Not Applicable

Educational Qualifications: Not Applicable

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and obsorption.

10. Methods of recruitment—whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfers, grades from which promotion/secondment/transfer is to be made.—Not Applicable.

12. If a Departmental Promotion/ confirmation Committee exists, what is its composition.—*(a) Departmental promotion Committee:* Not applicable

(b) Departmental Confirmation Committee: "As may be constituted by the Government from time to time."

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in **Appendix-I** appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur or other recruiting agency/authority, as the case may be so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur/other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Assistant Programmer, in the State Election Commission will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF THE H.P. STAFF SELECTION COMMISSION:** The Secretary, State Election Commission after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Assistant Programmer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount ₹13500/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹405/- (3% of the minimum of Pay Band + Grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed, if contract is extended beyond one year."

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Secretary, State Election Commission, Himachal Pradesh, will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in **Appendix-I** appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in **Appendix-I** appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, or the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/ she shall sign an agreement as per **Appendix-II** appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) "The contractual appointee will be paid fixed contractual amount ₹ 13500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹405/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given."

(b) " The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date of which a copy of termination order is delivered to him/her."

(c) "The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a Calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contact appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee".

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) "Unauthorized absence from the duties without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty":

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government

(e) "An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis. Wherever required on administrative grounds".

(f) "Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in case of Gazatted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazatted servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete period of training as condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks afer the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointe to the post kept reserved for her".

(g) "Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required, to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale".

(h) "Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s)".

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

APPENDIX-I

1.	**WRITTEN TEST** [Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks]			85 Marks
2.	Evaluation of candidate to be made in the following manner:—			15 Marks
	(i)	Weightage for the minimum educational qualification prescribed in the Recruitment and Promotion Rules. [Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplies by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks(50x0.25)]	**=2.5 Marks**	
	(ii)	Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be.	**=01 Marks**	
	(iii)	Land less family/family having land less than 01 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority.	**=01 Mark**	
	(iv)	Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service.	**=01 Mark**	
	(v)	Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity.	**= 01 Mark**	
	(vi)	NSS(atleast one year) certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions.	**= 01 Mark**	
	(vii)	BPL family having annual income (from all sources) below ₹40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time.	**=02Marks**	
	(viii)	Widow/divorces/destitute/single woman	**= 01 Mark**	
	(ix)	Single daughter/Orphan	**= 01 Mark**	
	(x)	Training of atleast 06 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution.	**= 01 Mark**	
	(xi)	Experience upto a maximum of 05 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year).	**=2.5 Marks**	

APPENDIX-"II"

Form of contract/ agreement to be executed between the Assistant Programmer, Class-III, (Non- Gazetted) in the State Election Commission and the Government, Himachal Pradesh, through Secretary, State Election Commission, Himachal Pradesh.

This agreement is made on this.....day of.....in the year.....Between Sh./Smt····· Son/Daughter..... of Sh.....r/o.....Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Secretary, Sate Election Commission, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Programmer Class-III, (Non-Gazetted) in the Sate Election Commission on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Assistant Programmer, Class-III, (Non- Gazetted) in the Sate Election Commission for a period of one year commencing on day of .....and ending on the day of---------- It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY notice shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on---------- and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period the Secretary, State Election Commission shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PRATY will be ₹13500/- Per month.

3. "The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date of which a copy of termination order is delivered to him/her."

4. The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days' medical leave and 5 days' special leave, in a Calendar year. A female Contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contact appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis, who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in case of Gazatted Government servant and by Government Medical Officer in the case of Non-Gazatted servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete period of training as condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks afer the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointe to the post kept reserved for her".

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

1. IN THE PRESENCE OF WITNESS

Signature of witness.
.....
.....
.....
(Name & Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)
(Name and Full Address)

.....
.....

.....
(Name and Full Address)

2. IN THE PRESENCE OF WITNESS

Signature of witness.
.....
.....
.....

(Name & Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)
(Name and Full Address)

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 17th December, 2019

No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant of *ex-post-facto* sanction of 12 days earned leave *w.e.f.* 29-11-2019 to 10-12-2019 in favour of Shri Anil Kumar, Secretary, District Legal Services Authority, Kullu.

Certified that Shri Anil Kumar will join the same post and at the same station from where he proceeds on earned leave, after the expiry of the above leave period.

Also certified that Shri Anil Kumar would have continued to hold the post of Secretary, DLSA Kullu, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Member-Secretary,

H.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, SHIMLA-171 009

OFFICE ORDER

Shimla-9, the 19th December, 2019

No. P.F./LSA/Secretaries/2016.—Hon'ble the Executive Chairman, H.P. State Legal Services Authority has been pleased to grant 10 days earned leave *w.e.f.* 26-12-2019 to 04-01-2020 with permission to prefix 25-12-2019 (being gazetted holiday) and suffix 05-01-2020 (being Sunday) in favour of Shri Basant Lal Verma, Secretary, District Legal Services Authority, Sirmaur at Nahan.

Certified that Shri Basant Lal Verma will join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Basant Lal Verma would have continued to hold the post of Secretary, District Legal Services Authority, Sirmaur at Nahan but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Member-Secretary,

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, UNA, DISTT. UNA (H.P.)

NOTIFICATION

Una, the 19th December, 2019

No. 18306-18318-MA-MC-1.—Whereas, on the recommendation of the Sub-Divisional Magistrate, Haroli, a meeting was called to deliberate upon the measure to regulate the traffic movement and ease the traffic congestion on the main roads passing through Tahliwal Bazar whereas it was unanimously resolved to take effective steps immediately in the interest of the safety and convenience of the road users; and whereas a draft notification No. 14513-522-MA-MC-I was issued by this office on 11-10-2019 calling upon general public to file their objections, if any within 30 days ; and whereas the said period of 30 days has elapsed and no objection in this regard was received from the public.

Therefore, I, Arindam Choudhary, District Magistrate, Una in exercise of powers vested in me under section 115 of the Motor Vehicles Act, 1988 and in pursuance of powers delegated to me by the Govt. of Himachal Pradesh, Transport Department Notification No. TPT-E (2) 12-2001 dated 03-06-2003, and all other powers enabling me in this behalf, do hereby notify the following:—

(1) Tahliwal Bazar will be closed for all heavy vehicular traffic in morning from 7:00 A.M. to 10:00 A.M. and in evening from 4.00 P.M. to 7.00 P.M.

(2) Ambulance, Fire Tender & other emergency vehicles are exempted.

(3) Superintendent of Police, Una shall ensure compliance of these orders.

These orders will come in force from the date of their publication in the Govt. Gazette.

By order,
(ARINDAM CHAUDHARY)
District Magistrate,
Una District H.P.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER,
UNA, DISTT. UNA (H. P.)

(Exercising powers of Commissioner under the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984)

CORRIGENDUM

Una, the 2nd November, 2019

No. 15630-15650/MA-MC-I .—In continuation of this office notification No. 7701-7724-MA-MC-I dated 11-09-2019 in Sl. No. 1 the Chairman, Shri Mahashiv Mandir Shivbadi (Ambota), Tehsil Amb, District Una *may be read as* Sub-Divisional Magistrate, Gagret with immediate effect.

SANDEEP KUMAR,
Deputy Commissioner-cum-
Commissioner Temple, Una (H.P.).

कार्मिक विभाग
सचिवालय प्रशासन सेवाएं–I

अधिसूचना

शिमला–2, 18 दिसम्बर, 2019

संख्याः पर(एस ए एस–I)ए (3)–1/2018.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी)–सी–ए(3)–3/2017 तारीख 11 अक्तूबर, 2017 को अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन), कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 का, उस विस्तार तक जहां तक ये कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) से सम्बन्धित है, एतद्–द्वारा, निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
सचिव (सचिवालय प्रशासन)।

––––––––

उपाबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**––कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक

2. **पद की संख्या.**––40 (चालीस)

3. **वर्गीकरण.**–– वर्ग–III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं

4. **वेतनमान.**––(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड :–
₹ 5910–20200/– जमा ₹ 2800/– ग्रेड पे

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां:–
स्तम्भ संख्याः 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 8710/– प्रतिमास,

5. चयन पद अथवा अचयन पद.––लागू नहीं

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.––18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जायेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेष (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पण.––सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.––(क) *अनिवार्य अर्हता(एं)* : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(ii) प्रारम्भिक भर्ती के समय दोनों भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी आशुलिपि और कम्प्यूटर पर टंकण में निम्नलिखित गति अवश्य रखता होः–

आशुलिपि में गति :

अंग्रेजी : 80 शब्द प्रति मिनट

हिन्दी : 70 शब्द प्रति मिनट

कम्प्यूटर पर टंकण में गतिः–

अंग्रेजी : 40 शब्द प्रति मिनट

हिन्दी : 30 शब्द प्रति मिनट

परन्तु प्रारम्भिक भर्ती के समय अभ्यर्थी को आशुलिपि की परीक्षा विहित गति से दोनों में से किसी एक भाषा में अर्थात् हिन्दी या अंग्रेजी में पास करनी होगीः

परन्तु यह और कि प्रारम्भिक भर्ती के समय अभ्यर्थी को दोनों भाषाओं में टंकण की परीक्षा पास करनी होगीः

परन्तु यह और भी कि उस पदधारी, जिसने प्रारम्भिक भर्ती के समय आशुलिपि की परीक्षा (टेस्ट) विहित गति से किसी एक भाषा में पास कर ली है, को आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा अर्थात, हिन्दी या अंग्रेजी में, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में, जिसमें प्रारम्भिक भर्ती के समय आशुलिपि की परीक्षा दूसरी भाषा में पास नहीं की है, यह विनिर्दिष्ट शर्त अन्तर्विष्ट होगी कि उसे दूसरी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा तीन वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी और यदि वह तीन वर्ष की अवधि के भीतर आशुलिपि की परीक्षा पास कर लेता है/लेती है तो वह अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि देय तारीख से आहरित करने का पात्र होगा/होगी और ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त परीक्षा तीन वर्ष के पश्चात् अर्हित करता है/करती है तो वह अपनी पहली वेतन वृद्धि विहित परीक्षा अर्हित करने की तारीख से ही आहरित करने का हकदार होगा/होगी।

(iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्प्यूटर में शब्द प्रसंस्करण का ज्ञान रखता हो।

(iv) अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र होगा/होंगे, यदि, उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्था से दसवीं और 10+2 (दस जमा दो) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो:

परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासियों को लागू नहीं होगी।

(ख) *वांछनीय अर्हता(एं)* : हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.——आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं) : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.——(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारण को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।

(ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.——शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा.——लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति/स्थायीकरण समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.——(क) विभागीय प्रोन्नति समिति लागू नहीं ।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15–क संविदा नियुक्ति, द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

(I) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन) में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना :

प्रशासनिक सचिव (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां :

संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक को ₹ 8710/– की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों), के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 261/– की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :

प्रशासनिक सचिव (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार

की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम आदि, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट–"II" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 8710/– की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/ वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 261/– (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यावसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कैलेण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतीलीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्युटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा :

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिये पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0–एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

परिशिष्ट–I

1.	लिखित परीक्षा [लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंको में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 : अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे]।	85 अंक
2.	अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:– (i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक	15 अंक

	[शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक अनुज्ञात किए जाएंगे (50×0.025=1.25)] (ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से संबंधित। =01 अंक (iii) भूमिहीन कुटुम्ब/एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को संबद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। =01 अंक (iv) इस प्रभाव का गैर–नियोजन प्रमाण पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। =01 अंक (v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। =01 अंक (vi) एन. एस. एस. (कम से कम एक वर्ष)/ एन. सी. सी. में प्रमाण–पत्र धारक/भारत स्काऊट और गाईड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। =01 अंक (vii) सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविहित 40,000/–रुपए से कम (समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी. पी. एल. कुटुम्ब। =02 अंक (viii) विधवा/तलाकशुदा/अकिंचन/एकल महिला। =1 अंक (ix) इकलौती पुत्री/अनाथ =1 अंक (x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आवेदित पद से संबंधित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। =01 अंक (xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से संबंधित, अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए केवल 0.5 अंक) =2.5 अंक	

परिशिष्ट–"II"

कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, सचिवालय प्रशासन और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य..... (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया हैं) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, ... (नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ वेतनमान आषुलिपिक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और... ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार

पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्यदिवस् अर्थात् .. .. दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 8710/– प्रतिमास होगी।

3. संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कैलेण्डर वर्ष में एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी को दो जीवित बव्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतीलीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बव्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्त्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि

उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिये पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ–साथ ई.पी. एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख मास और वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Per (SAS-I)A(3)-1/2018, dated 18th December, 2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

PERSONNEL DEPARTMENT
SECRETARIAT ADMINISTRATION SERVICES-I

NOTIFICATION

Shimla-2, 18th December, 2019

No. Per(SAS-I)A (3)-1/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the

Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administration) Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Personnel (Secretariat Administration) Junior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2019.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh, Department of Personnel, Junior Scale Stenographer, Class-III (Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2017, notified *vide* this Department Notification No. Per (AP)-C-A(3)-3/2017, dated 11th October, 2017 are hereby repealed to the extent these pertains to Department of Personnel (Secretariat Administration Services).

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (1) *supra* shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary (SA).

———————

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR SCALE STENOGRAPHER (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SECRETARIAT ADMINISTRATION) H. P.

1. Name of post.—Junior Scale Stenographer

2. Number of post(s).—40 (Forty)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted)Ministerial Services

4. Scale of Pay.—(i) Pay Band for regular incumbent(s):—
₹5910-20200+ ₹ 2800 Grade Pay

(ii) Emoluments for Contract Employee (s):
₹ 8710/-P.M., as per details given in Column No.15-A

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Not applicable

6. Age for Direct recruitment.—Between 18 to 45 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *adhoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such *adhoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s)—

(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s): (i) Bachelor's Degree from a recognised University.

(ii) Must possess the following speed in short hand and typing on Computer in both languages *i.e.* English and Hindi at the time of initial recruitment:—

Speed in Shorthand:
English 80 WPM
Hindi 70 WPM

Speed in typing on Computer
English 40 WPM
Hindi 30 WPM

Provided that at the time of initial recruitment the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language *i.e.* in Hindi or English at the prescribed speed:

Provided further that the candidate will have to pass typing test in both the languages at the time of initial recruitment:

Provided further that the incumbent having passed shorthand test in one language, at the time of initial recruitment at the prescribed speed, shall have to pass the shorthand test in second language, *i.e.* Hindi or English, within a period of three years from the date of appointment. The appointment letter of the candidate who does not qualify the shorthand test in second language at the time of initial recruitment shall contain the specific condition that he/she shall have to pass the test in short hand in second language within a period of three years and if he/she qualifies the shorthand within the period of three years he/she will be eligible to draw his/her annual increment(s) from due date and the candidate who qualifies the said test after three years will be eligible to draw his/her first increment only from the date of qualifying the prescribed test.

(iii) Should have the knowledge of word processing in Computer as prescribed by the recruiting authority.

(iv) A candidate shall be eligible for appointment, if he/she has passed Matriculation and 10+2 from any School/Institution situated within Himachal Pradesh:

Provided that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.

(b) DESIRABLE QUALIFICATION (S).—Knowledge of customs, manner and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational(s) qualification prescribed for direct recruit will apply in the case of promote (s).— *Age:* Not applicable

Educational qualification: Not applicable

9. Period of probation, if any.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in case of appointment on contract basis.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100 % by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grade(s) from which promotion/secondment/transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.— *(a) Departmental Promotion Committee.*—Not applicable

(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these Rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/ authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment : Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Junior Scale Stenographer in Department of Personnel (Secretariat Administration), H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year-to- year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF THE HPSSC, HAMIRPUR : The Administrative Secretary (Secretariat Administration) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P rules;

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Scale Stenographer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.8710/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 261/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Administrative Secretary (Secretariat Administration) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test or physical test, the standard /syllabus etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(VI) AGRREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS :

(a) The contract (appointee) will be paid fixed contractual amount @ Rs.8710/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.261/- (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing

Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month's service, 10 day's medical leave and 5 day's special leave in a calendar year. A female with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days' (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularisation but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).

APPENDIX-I

1.	WRITTEN TEST [Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks].	85 marks
2.	Evaluation of candidate to be made in the following manner:— (i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)] (ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark (iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark (iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/Semi-Government service. =01 Mark (v) Differently abled persons with more than 40% impairment/ disability/ infirmity. =01 Mark (vi) NSS (alteast one year)/certificate holders in NCC/ The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark (vii) BPL family having annual income (from all sources) below ₹40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Marks (viii) Widow/divorced/destitute/single woman =01 Mark (ix) Single daughter/Orphan =01 Mark (x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/ Institution. =01 Mark (xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year). =2.5 Marks	15 marks

APPENDIX-"II"

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Scale Stenographer (Secretariat Administration) and the Government of Himachal Pradesh through Secretary (SA) to the Government of Himachal Pradesh.

This agreement is made on this _____day of _____in the year_____ between Sh./Smt. _____s/o/d/o Shri_____ r/o _____Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through Secretary (SA) to the Government of Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Scale Stenographer on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Scale Stenographer for a period of one year commencing on day of _____and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall *ipso-facto* stand terminated on the last working day *i.e.* on _____ and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be 8710/-per month.

3. The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.

4. The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service, 10 days medical leave and 5 days special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

   Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his /her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidates who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1…….

……..

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. …….

……..

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

ब अदालत श्री सुनील कुमार, तहसीलदार व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : मकफूद उल खबरी तारीख पेशी : 08–01–2020

श्री पूर्ण चन्द पुत्र वीरवल, निवासी महाल फुलवाड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी मकफूद उल खबरी।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र वीरवल, निवासी महाल फुलवाड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करते हुए अनुरोध किया है कि उसका भाई श्री रोडा पुत्र श्री वीरवल, निवासी महाल फुलवाड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) पिछले 50–60 वर्ष से लापता है। इस सम्बन्ध में पटवारी सम्बन्धित हजा ने पूरी छानबीन व कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इंतकाल मकफूद उल खबरी महाल फुलवाड, मौजा व तहसील थुरल में उसके वारसान के नाम राजस्व अभिलेख में इंतकाल नं0 171 में दर्ज करके पीठासीन अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर रखा है।

उक्त वर्णित इंतकाल पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी आम जनता, सगे सम्बन्धी या किसी भी हितबद्ध संस्था को इस इश्तहार अखबारी, राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी वह उक्त इंतकाल को उसके वारसान श्री पूर्ण चन्द, जीत सिंह, वलदेव सिंह, रूप सिंह, कमला देवी, विमला देवी, चंचला देवी, कौशल्या देवी, सुनील कुमार, किरण देवी, अरूणा देवी, स्वर्णा देवी व सत्या देवी के नाम हिस्सानुसार तस्दीक करने बारे किसी भी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक पेशी 8–01–2020 को पीठासीन अधिकारी की अदालत तहसील थुरल में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा दिनांक पेशी 8–01–2020 को किसी प्रकार की आपत्ति या उजर न पेश होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके इंतकाल मकफूद उल खबरी वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03–12–2019 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत श्री सुनील कुमार, तहसीलदार व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : मकफूद उल खबरी तारीख पेशी : 08–01–2020

श्री पूर्ण चन्द पुत्र वीरवल, निवासी महाल फुलवाड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी मकफूद उल खबरी।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री पूर्ण चन्द पुत्र वीरवल, निवासी महाल फुलवाड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करते हुए अनुरोध किया है कि उसका भाई श्री फिना पुत्र श्री वीरवल, निवासी महाल फुलवाड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) पिछले 50–60 वर्ष से लापता है। इस सम्बन्ध में पटवारी सम्बन्धित हजा ने पूरी छानबीन व कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इंतकाल मकफूद उल खबरी महाल फुलवाड, मौजा व तहसील थुरल में उसके वारसान के नाम राजस्व अभिलेख में इंतकाल नं0 172 में दर्ज करके पीठासीन अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर रखा है।

उक्त वर्णित इंतकाल पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी आम जनता, सगे सम्बन्धी या किसी भी हितबद्ध संस्था को इस इश्तहार अखबारी, राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी वह उक्त इंतकाल को उसके वारसान श्री पूर्ण चन्द, जीत सिंह, वलदेव सिंह, रूप सिंह, कमला देवी, विमला देवी, चंचला देवी, कौशल्या देवी, सुनील कुमार, किरण देवी, अरूणा देवी, स्वर्णा देवी व सत्या देवी के नाम हिस्सानुसार तस्दीक करने बारे किसी भी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक पेशी 8–01–2020 को पीठासीन अधिकारी की अदालत तहसील थुरल में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा दिनांक पेशी 8–01–2020 को किसी प्रकार की आपत्ति या उजर न पेश होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके इंतकाल मकफूद उल खबरी वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 03–12–2019 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत श्री सुनील कुमार, तहसीलदार व सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : मकफूद उल खबरी तारीख पेशी : 15–01–2020

श्रीमती कुशला देवी पत्नी श्री वनीत कुमार, निवासी महाल साई दा लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी मकफूद उल खबरी।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थिया श्रीमती कुशला देवी पत्नी श्री वनीत कुमार, निवासी महाल साई दा लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश करते हुए अनुरोध किया है कि उसका पति श्री वनीत कुमार पुत्र श्री जुल्फी, वासी साई दा लाहड, मौजा व तहसील थुरल, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) पिछले 15 वर्ष से लापता है। इस सम्बन्ध में पटवारी सम्बन्धित हजा ने पूरी छानबीन व कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इंतकाल मकफूद उल खबरी महाल साई दा लाहड मौजा व तहसील थुरल में उसके वारसान के नाम राजस्व अभिलेख में इंतकाल नं0 296 में दर्ज करके पीठासीन अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत कर रखा है।

उक्त वर्णित इंतकाल पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से पूर्व उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी आम जनता, सगे सम्बन्धी या किसी भी हितबद्ध संस्था को इस इश्तहार अखबारी, राजपत्र हि0प्र0 व मुस्त्री मुनादी चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी वह उक्त इंतकाल को उसके वारसान श्री सुनील कुमार, नन्द किशोर,राकेश कुमार पुत्र व श्रीमती कुशला देवी पत्नी श्री वनीत कुमार के नाम हिस्सानुसार तस्दीक करने बारे किसी भी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक पेशी 15–01–2020 को पीठासीन अधिकारी की अदालत तहसील थुरल में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा दिनांक पेशी 15–01–2020 को किसी प्रकार की आपत्ति या उजर न पेश होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके इंतकाल मकफूद उल खबरी वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर अदालत से आज दिनांक 03–12–2019 को मोहर जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 15 / NT/19

श्रीमती Mina w/o Ram Ashish, r/o Sidhbari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.)

Vs

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Mina w/o Ram Ashish, r/o Sidhbari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 02–11–2007 है परन्तु M.C. Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Simran की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06–01–2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

———————

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 13 / NT / 19

श्रीमती Suman Sehgal w/o Late Sh. Jagdish Oberoi, r/o Village & P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

Vs

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Suman Sehgal w/o Late Sh. Jagdish Oberoi, r/o Village & P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 18–08–1988 है परन्तु एम0सी0 / Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Ishant Oberoi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06–01–2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

———————

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 :12 / NT / 19

श्री Bishan Dass s/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Bhitlu, P.O. Chamiara, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

Vs

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Bishan Dass s/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Bhitlu, P.O. Chamiara, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता की मृत्यु तिथि 09–12–2011 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Thokri Devi w/o Rattan Chand की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06–01–2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 14 / NT / 19

श्रीमती Lakpa Dolma Tamang w/o Tenzin Dorji Tamang, Village Meethanala, P.O. Mcleodgang, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

Vs

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Lakpa Dolma Tamang w/o Tenzin Dorji Tamang, Village Meethanala, P.O. Mcleodgang, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी सवयं की जन्म तिथि 15–07–1976 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Lakpa Dolma Tamang का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06–01–2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

————————

In the Court of Naib Tehsildar-cum**-Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.**

1. Mr. Anil Kumar s/o Sh. Ajeet Singh, Village Sokani Da Kot Khaniara, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

2. Smt. Rajni Devi d/o Sh. Man Chand, Village Chamarker, P.O. Jia, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

Versus

1. The General Public,
2. G.P. Sokani Da Kot

Whereas the above named applicant have made and application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996/2004 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 20-06-2019 at Narwana, but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages *i. e.* Gram Panchayat Sokani Da Kot;

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 06-01-2020 at Tehsil Dharamshala at 12.00 NOON, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on dated 06-12-2019.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

ब अदालत तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 6 / NT / 19

Sh. Sugriv Kumar s/o Sh. Duni Chand, r/o Village Tangroti Khas, P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P.

Vs

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Sh. Sugriv Kumar s/o Sh. Duni Chand, r/o Village Tangroti Khas, P.O. Yol Cantt, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 09–09–2017 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Taro Devi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 06–01–2020 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

––––––––––

ब अदालत पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 3 / 2019 दिनांक मरजुआ : 13–11–2019

उनवान मुकद्दमा :

श्री बलवीर सिंह उर्फ रणवीर सिंह, पुत्र श्री डिडू, उर्फ मान सिंह, गांव सकमांद, डाकघर द्राहल, उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थी

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र U/S 37 हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1953 नाम दुरुस्त करने बारे महाल हाड़ी द्राहल / 273.

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री बलवीर सिंह उर्फ रणवीर सिंह, पुत्र श्री डिडू, उर्फ मान सिंह, गांव सकमांद, डाकघर द्राहल, उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी उपरोक्त पता का स्थाई निवासी है। प्रार्थी बलवीर सिंह उर्फ रणवीर सिंह महाल सन्खेतर/265, गांव सकमांद, डाकघर द्राहल, उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का मालिक दर्ज चला आ रहा था। यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व महाल सन्खेतर/265 में बलवीर दर्ज राजस्व अभिलेख चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम परिवार रजिस्टर नकल, ग्राम पंचायत सकमांद में बलवीर सिंह उर्फ रणवीर सिंह दर्ज है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बलवीर सिंह के स्थान पर बलवीर सिंह उर्फ रणवीर सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल सन्खेतर/265 में बलवीर के स्थान पर बलवीर सिंह उर्फ रणवीर सिंह दर्ज करने में कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दिनांक 30–12–2019 को प्रातः 10.00 बजे अपने उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त नाम दुरुस्ती इन्द्राज के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 02–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व सील द्वारा जारी हुआ है।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत पूर्ण चन्द कौंडल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 4/2019 दिनांक मरजुआ : 13–11–2019

उनवान मुकद्दमा :

श्री चरन दास पुत्र श्री गुहतलू पुत्र श्री हेसी, निवासी गांव महाल हाड़ी द्राहल/273, डाकघर द्राहल, उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) .. प्रार्थी

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र U/S 37 हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1953 नाम दुरुस्त करने बारे महाल हाड़ी द्राहल/273.

उपरोक्त उनवान वाला मुकद्दमा में प्रार्थी श्री चरन दास पुत्र श्री गुहतलू पुत्र श्री हेसी, निवासी गांव महाल हाड़ी द्राहल/273, डाकघर द्राहल, उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी पत्नी श्रीमती कौशल्या के माध्यम से दिनांक 30–08–2019 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी उपरोक्त पता का स्थाई निवासी है। प्रार्थी मानसिक रूप से पीड़ित है इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी श्रीमती कौशल्या के माध्यम से आवेदन किया है। प्रार्थी चरनदास महाल हाड़ी द्राहल/273, डाकघर द्राहल, उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) का सह मालिक दर्ज चला आ रहा था। यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व महाल हाड़ी द्राहल/273 में चुहडू दर्ज राजस्व अभिलेख चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम परिवार रजिस्टर नकल, ग्राम पंचायत द्राहल में चरनदास दर्ज है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम चुहडू के स्थान पर चरनदास दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल हाड़ी द्राहल / 273 में चुहड़ू के स्थान पर चरन दास दर्ज करने में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दिनांक 30–12–2019 को प्रातः 10.00 बजे अपने उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त नाम दुरुस्ती इन्द्राज के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 03–11–2019 को मेरे हस्ताक्षर व सील द्वारा जारी हुआ है।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील मकरीड़ी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H. P.).

In the matter of :

1. Karan Vir Singh s/o Sh. Rajvinder Singh, r/o H. No. 352/12, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.).

2. Satica Gupta d/o Sh. Mahender Lal Gupta, r/o Village & P.O. Janjehli, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Karan Vir Singh s/o Sh. Rajvinder Singh, r/o H. No. 352/12, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Satica Gupta d/o Sh. Mahender Lal Gupta, r/o Village & P.O. Janjehli, Tehsil Thunag, District Mandi (H.P.) (at present wife of Karan Vir Singh s/o Sh. Rajvinder Singh, r/o H. No. 352/12, Ram Nagar, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 11-07-2019 according to Hindu rites and customs at Motipur Temple Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-12-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30-11-2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H. P.).

In the matter of :

1. Om Prakash s/o Sh. Ramesh Chand, Village Dolangi, P.O. Balt, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) c/o Nirmala Devi w/o Sh. Tanku Ram, Village Sakal, P.O. Padhiun, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)

2. Urmila Devi d/o Sh. Nirat Ram, Village Ward No. 7, Jindour, P.O. Bandrol, Tehsil & District Kullu (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Om Prakash s/o Sh. Ramesh Chand, Village Dolangi, P.O. Balt, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) c/o Nirmala Devi w/o Sh. Tanku Ram, Village Sakal, P.O. Padhiun, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Urmila Devi d/o Sh. Nirat Ram, Village Ward No. 7, Jindour, P.O. Bandrol, Tehsil & District Kullu (H.P.) (at present wife of Om Prakash s/o Sh. Ramesh Chand, Village Dolangi, P.O. Balt, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) c/o Nirmala Devi w/o Sh. Tanku Ram, Village Sakal, P.O. Padhiun, Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 30-09-2019 according to Hindu rites and customs at Hateshwari Mata Temple hatgarh, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-12-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of November, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H. P.).

In the matter of :

1. Akhil kapoor s/o Sh. Mahesh Kapoor, r/o H. No. 295/7, Upper Samkhetar Mandi, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)

2. Rohini d/o Sh. Mohinder Verma, Village & P.O. Padhar, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Akhil kapoor s/o Sh. Mahesh Kapoor, r/o H. No. 295/7, Upper Samkhetar Mandi, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Rohini d/o Sh. Mohinder Verma, Village & P.O. Padhar, Tehsil Padhar, District Mandi (H.P.) (at present wife of Akhil kapoor s/o Sh. Mahesh Kapoor, r/o H. No. 295/7, Upper Samkhetar Mandi, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-10-2019 according to Hindu rites and customs at Beas Sadan Mandi, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-12-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30th day of November, 2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar, District Mandi (H. P.).

In the matter of :

1. Aman Preet Matta s/o Sh. Ashok Kumar matta, r/o H. No. 57/5, Palace Colony Mandi, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.)

2. Archana d/o Sh. Kirpal Singh, H. No. IB/35K, IB Block, Near Ram Dharam Kanta, NIT Faridabad, Haryana, 121001 . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Aman Preet Matta s/o Sh. Ashok Kumar matta, r/o H. No. 57/5, Palace Colony Mandi, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) and Archana d/o Sh. Kirpal Singh, H. No. IB/35K, IB Block, Near Ram Dharam Kanta, NIT Faridabad, Haryana, 121001 (at present wife of Aman Preet Matta s/o Sh. Ashok Kumar matta, r/o H. No. 57/5, Palace Colony Mandi, P.O. & Tehsil Sadar, District Mandi (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-04-2019 according to Hindu rites and customs at their respective houses and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 29-12-2019 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 30-11-2019 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar, District Mandi (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 13 / 2019 तारीख दायर : 23–02–2019

श्री मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री बेली राम, गांव व डाकघर दरकाली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका चक दरकाली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री मोहन लाल पुत्र स्व0 श्री बेली राम, गांव व डाकघर दरकाली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड में मोहन लाल दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक दरकाली के माल कागजात में वादी का नाम खोखू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी वाका चक दरकाली के माल कागजात में अपना नाम खोखू के स्थान पर मोहन लाल दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 15/2019 तारीख दायर : 12–05–2019

श्री जिया लाल पुत्र स्व0 श्री प्रीतम देव, गांव नेहरा, डाकघर बाहली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका चक नेहर, सोबडी व पलजारा, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री जिया लाल पुत्र स्व0 श्री प्रीतम देव, गांव नेहरा, डाकघर बाहली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में जिया लाल दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक नेहरा, सोबडी व पलजारा में माल कागजात में वादी का नाम जय लाल दर्शाया गया है जो सही नहीं है वादी वाका चक नेहरा व सोबडी के माल कागजात में अपना नाम जय लाल के स्थान पर जिया लाल दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 19 / 2019 तारीख दायर : 21–02–2019

श्री गोकल राम पुत्र स्व0 श्री बेखडू राम, गांव मतैना, डाकघर मुनीश बाहली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका चक मतैना, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री गोकल राम पुत्र स्व0 श्री बेखडू राम, गांव मतैना, डाकघर मुनीश बाहली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में गोकल राम दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक मतैना के माल कागजात में वादी का नाम घोईं दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी वाका चक मतैना के माल कागजात में अपना नाम घोईं के स्थान पर गोकल राम दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 20 / 2019 तारीख दायर : 30–01–2019

श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व0 श्री मिथु राम, गांव मंढोग, डाकघर नरैण, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका चक करशोली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री प्रकाश चन्द पुत्र स्व0 श्री मिथु राम, गांव मंढोग, डाकघर नरैण, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक राशन कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में प्रकाश चन्द दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक करशोली के माल कागजात में वादी का नाम ओम प्रकाश दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी वाका चक करशोली के माल कागजात में अपना नाम ओम प्रकाश के स्थान पर प्रकाश चन्द दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 25 / 2019 तारीख दायर : 12–06–2019

श्री श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री जानकी, गांव चिकसा, डाकघर देवठी, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त.––(नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका चक चिकसा, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री जानकी, गांव चिकसा, डाकघर देवठी, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में श्याम लाल दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक चिकसा के माल कागजात में वादी का नाम राम लाल दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी वाका चक चिकसा के माल कागजात में अपना नाम राम लाल के स्थान पर श्याम लाल दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 42 / 2018 तारीख दायर : 12–03–2018

श्री रमेश चन्द पुत्र श्री नर सिंह दास, गांव चौका, डाकघर तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका चक चौका, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री रमेश चन्द पुत्र श्री नर सिंह दास, गांव चौका, डाकघर तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पहचान–पत्र व नकल परिवार रजिस्टर में रमेश चन्द दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक चौका के माल कागजात में वादी का नाम दिनेश कुमार दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी वाका चक चौका के माल कागजात में अपना नाम दिनेश कुमार के स्थान पर रमेश चन्द दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 23 / 2019 तारीख दायर : 12–06–2019

श्री हरदयाल पुत्र स्व0 श्री मोती राम, गांव राहनू, डाकघर करेरी, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका चक करेरी, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री हरदयाल पुत्र स्व0 श्री मोती राम, गांव राहनू, डाकघर करेरी, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, व राशन कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में हरदयाल दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक करेरी के माल कागजात में वादी का नाम सैंज राम दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी वाका चक करेरी के माल कागजात में अपना नाम सैंज राम के स्थान पर हरदयाल दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 32 / 2019 तारीख दायर : 06–03–2019

श्री दलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री खरू, गांव कुरनू, डाकघर नरैण, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका चक कुरनू, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री दलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री खरू, गांव कुरनू, डाकघर नरैण, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड में दलीप सिंह दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक कुरनू के माल कागजात में वादी का नाम गुड्डू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी वाका चक कुरनू के माल कागजात में अपना नाम गुड्डू के स्थान पर दलीप सिंह दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 33 / 2019 तारीख दायर : 11–03–2019

श्री शिव लाल पुत्र स्व0 श्री टेरू राम, गांव नागासारी, डाकघर तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला, (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका चक कुखी, सेरी मझाली, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री शिव लाल पुत्र स्व0 श्री टेरू राम, गांव नागासारी, डाकघर तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पहचान–पत्र व नकल परिवार रजिस्टर में शिव लाल दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक कुखी, सेरी मझाली के माल कागजात में वादी का नाम भाउ राम दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी वाका चक कुखी, सेरी मझाली के माल कागजात में अपना नाम भाउ राम के स्थान पर शिव लाल दरुस्त व दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 35 / 2019 तारीख दायर : 11–03–2019

अंजली पुत्री स्व0 श्री प्यारे लाल, गांव चिखड़ी, डाकघर तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज वाका थेड़ा चिखड़ी, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त अंजली पुत्री स्व0 श्री प्यारे लाल, गांव चिखड़ी, डाकघर तकलेच, उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड व नकल परिवार रजिस्टर में अंजली दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक थेड़ा चिखड़ी के माल कागजात में वादी का नाम टूटू दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी वाका चक थेड़ा चिखड़ी के माल कागजात में अपना नाम टूटू के स्थान पर अंजली दरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल काग़जात में दरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05–01–2020 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में हाज़िर आकर अपनी आपत्ति दर्ज़ करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

———————

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)

Sh. Rama Nand s/o Late Shri Mast Ram, r/o Village Mewog, P.O. Kamlanagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas Sh. Rama Nand s/o Late Shri Mast Ram, r/o Village Mewog, P.O. Kamlanagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his wife named Smt. Vidya Devi w/o Sh. Rama Nand s/o Late Shri Mast Ram, r/o Village Mewog, P.O. Kamlanagar, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Chamyana, Tehsil & District Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of death
1.	Smt. Vidya Devi	wife	28-07-2015

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding enter the date of death of above named in the record of Gram Panchayat Chamyana, Tehsil & District Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 10-12-2019 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla, H.P.

न्यायालय श्री विजय कुमार राय, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : /Teh. Una/M. Reg./2019

श्री वचित्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, वासी लोअर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री वचित्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, वासी लोअर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 26–11–2018 को श्वेता रानी पुत्री श्री देस राज, वासी गांव काशीपुर, डाकघर मुबारिकपुर, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ हुआ है लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार, विवाह पंजीकरण, ग्राम पंचायत कार्यालय लोअर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज न करवा सका है।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह, स्थानीय पंजीकरण, ग्राम पंचायत कार्यालय लोअर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 07–01–2020 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07–12–2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विजय कुमार राय,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है